



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-25012023-243196
CG-WB-E-25012023-243196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2023/ माघ 4, 1944

No. 374]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2023/ MAGHA 4, 1944

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 24 जनवरी, 2023

का.आ. 388(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित राज्य के नीचे सारणी के स्तंभ (1) में यथा-उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है।

सारणी

परियोजना का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
(1)	(2)
रांची (हटिया) – बंडामुंडा (दुमेत्रा) (158.50 किमी.) दोहरीकरण	झारखंड, ओडिशा

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/डीसीई/सी/राउरकेला/एल.ए/डीएमएफ-ओआरजीए दोहरीकरण-4]

एस.एम. महेश्वरी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[South Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 24th January, 2023

S.O. 388(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (1) of the Table below in the State mentioned in column (2) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Name of Project	State/Union Territory
(1)	(2)
Ranchi (Hatia)- Bondamunda (Dumetra) (158.50Km.) doubling.	Jharkhand, Odisha

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C/ROU/L.A/DMF-ORGA doubling-4]
S.M.MAHESHWARI, Chief Admin. Officer(Con)